

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

राँची
दिनांक :-

अधि.सं.-01/स्था.(विविध)-05-27/2014...../ विभागीय अधिसूचना सं.-5894 दिनांक 09.06.2014 द्वारा अधिसूचित निम्न क्रमांक पर अंकित अभियंताओं के संबंध में परिलक्षित स्तम्भ-03 एवं 05 की त्रुटियों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
29	श्री विद्यानन्द सिंह 3305/गिरिडीह/01.07.61	सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल सं.-04, साहेबगंज	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज	
89	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा एम 457/हजारीबाग/ 15.08.54	सहायक अभियंता(यॉ.) जलपथ अंचल, हजारीबाग	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं.-04, राँची	
91	श्री सुनील कुमार सिन्हा एम 478/पटना/10.10.55	सहायक अभियंता(यॉ.) जलपथ प्रमंडल, राँची	उप निदेशक(यॉ.) क्रय एवं परिवहन, राँची	श्री अनीस अहमद रहमती की प्रोन्नति के उपरांत प्रभावी

2. अधिसूचना सं.-5894 दिनांक 09.06.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

5970

राँची, दिनांक :-

18-6-14

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीया मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/ निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 07 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर सहायक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, क्रमांक-12, 13, 15, 18, 23, 43, 48, 58, 59, 80, 89 एवं 94 के पदाधिकारी को छोड़कर शेष पदाधिकारियों का माह जून-2014 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)